

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(आर.ई.सर्किल)

क्र.जे.पी.डी. मु.अ.(प्रोजेक्टस) जयपुर/अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(II)/सहा. अभि (II)/प. 146/प्रे.188 दि 20.2.17


स्पष्टीकरण

**विषय :- आर.ई.ओ.-252 दिनांक 28.04.2016 के बिन्दु संख्या 19अ(4) (बढे हुये भार) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

सतर्कता अथवा अन्य जाँच अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार यदि बढा हुआ पाया जाता है, तो इसे आर.ई.ओ.-252 दिनांक 28.04.2016 के अनुसार विद्युत दुरुपयोग का मामला माना जायेगा।

इस संदर्भ में आर.ई.ओ.-252 दिनांक 28.04.2016 के बिन्दु संख्या 19 (अ) (4) के प्रावधानों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

1. जाँच के दौरान उपभोक्ता की सम्बद्ध भार स्वीकृत भार से 20% अथवा 5 एच.पी. जो भी कम हो पाया जाने पर उपभोक्ता से कोई दुरुपयोग राशि वसूल नहीं की जावेगी।
2. जाँच के दौरान उपभोक्ता की सम्बद्ध भार स्वीकृत भार से 20% अथवा 5 एच.पी. जो भी कम हो पाया जाने पर उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा एवं पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जायेंगे।
3. 20 प्रतिशत या 5 एच.पी. से अधिक भार पाये जाने पर 20% या 5 एच.पी. (जो भी कम हो) भार को छोडकर शेष बचे हुये भार पर प्रावधानों के अनुसार दुरुपयोग राशि ली जा सकेगी।
4. 20% अथवा 5 एच.पी. से अधिक भार पाये जाने पर स्वीकृत भार से अधिक भार को नियमानुसार स्वीकृत करने के पश्चात् कुल वास्तविक भार की बिलिंग की जावेगी।




(पी.के. जैमिनि)

मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्टस)

जयपुर डिस्कॉम जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
- 2-अध्यक्ष डिस्कॉमस जयपुर।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 4-निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
- 5-सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर/भरतपुर/कोटा)विद्युत वितरण निगम लिमिटेडजयपुर/भरतपुर/कोटा।
- 6-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर ।
- 7-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
8. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
- 9-प्रावेधिकसहायक,प्रबन्धनिदेशक,जयपुर/अजमेर/जोधपुरविद्युतवितरण निगम लि. जयपुर/अजमेर/जोधपुर
- 10-प्रावेधिक सहायक, मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
- 11-प्रावेधिक सहायक सलाहकार (ऊर्जा) मुख्यमंत्री, जयपुर।
- 12-प्रावेधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
- 13-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल ), जयपुर।
- 14-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी ( ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
- 15-सलाहकार आयुक्त (विद्युत) मिनी सचिवालय,जयपुर ।
- 16-अधिशाषी अभियन्ता (पवस/ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 17- विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
- 18-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
- 19-निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
- 20-निजी सहायक; अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।
- 21-इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियन्ता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।

  
मुख्य अभियन्ता (प्रोजेक्ट्स)  
जयपुर डिस्कॉम जयपुर